प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

गणपूर्ति: मुख्य न्यायाधीश. माननीय

श्री राजीव गुप्ता।

न्यायाधीश. माननीय श्री

सुनील कुमार सिन्हा।

दंडिक अपील संख्या 278, 1993

राम जियावन (मृत) और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

हस्ताक्षरित/-

मुख्यन्यायाधीश

19/10/2010

हस्ताक्षरित/-

न्यायाधीश. सुनील कुमार सिन्हा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

गणपूर्ति: मुख्य न्यायाधीश. माननीय श्री

राजीव गुप्ता।

न्यायाधीश. माननीय श्री सुनील

कुमार सिन्हा।

दंडिक अपील संख्या 278/1993

अपीलकर्ता: 1. राम जियावन पुत्र मेवा राम राठौर, आयु लगभग 60 वर्ष,

(**मृतक - नाम आदेश द्वारा हटा दिया गया दिनांक (15.4.2010**)

2. रामेश्वर. पुत्र राम जियावन राठौड़, उम्र करीब 30 साल

3. केशव पुत्र राम जियावन राठौर, उम्र लगभग 23 वर्ष

4. मूलचंद पुत्र राम जियावन राठौर, उम्र लगभग 18 वर्ष

5. सोमवती बाई राठोर, उम्र लगभग 25

वर्ष सभी निवासी ग्राम-पतगंवा, थाना पेंड्रा, जिला बिलासपुर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बनाम

उत्तरदाता: मध्य प्रदेश राज्य(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दंडिक अपील)

विज्ञापन: श्री एच.एस. अहलूवालिया, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा, राज्य के अधिवक्ता।

दंडिक अपील क्रमांक 278/1993

<u>निर्णय</u>

(19.10.2010)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

1) यह अपील सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 312/91 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.1993 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

2) अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी क्रमांक-1 राम जियावन की मृत्यु हो गई। उनका नाम आदेश दिनांक 15.04.2010 के माध्यम से विलोपित कर दिया गया था। अतः, अपीलार्थी क्रमांक-1 की ओर से प्रस्तुत यह अपील उपशमन (Abated) के कारण खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) **संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:**

मृतका गिरजा बाई, अपीलार्थी क्रमांक-3 केशव की पत्नी थी। अपीलार्थी क्रमांक-1 राम जियावन ससुर, अपीलार्थी क्रमांक-2 रामेश्वर जेठ, अपीलार्थी क्रमांक-4 मूलचंद देवर और अपीलार्थी क्रमांक-5 सोमवती बाई मृतका की जेठानी थी। मृतका का विवाह घटना दिनांक 26.05.1990 से 6 वर्ष पूर्व अपीलार्थी क्रमांक-3 के साथ हुआ था। अभियोजन का मामला यह है कि मृतका के पति के अपनी भाभी यानी अपीलार्थी क्रमांक-5 के साथ अवैध संबंध बन गए थे। जब मृतका को इस बारे में पता चला और उसने विरोध करना शुरू किया, तो अपीलार्थियों ने मृतका को जहर दे दिया। दिनांक 26.05.90 को मृतका खेत में काम करने गई थी। आरोप है कि अपीलार्थी क्रमांक-4 मूलचंद, खेत में मृतका के लिए भोजन लेकर गया था। जब मृतका ने भोजन ग्रहण किया, तो उसे उल्टियाँ होने लगीं। उसे घर लाया गया। मृतका के परिजनों को सूचित किया गया। मृतका की माँ और भाई रात में आए। घर पर ही मृतका का उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान दिनांक 27.05.1990 को सुबह लगभग 2:00 बजे उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 27.05.90 को ही सुबह लगभग 7-8 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 दिनों के बाद, मृतका के भाई

दादूराम (अ.सा.-1) ने संबंधित थाने में एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1-ए) दर्ज कराई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) पंजीकृत की गई।

अन्वेषण अधिकारी अपीलार्थियों के घर पहुँचे और विभिन्न वस्तुएँ जब्त कीं। चूँकि शव को पहले ही जलाया जा चुका था, इसलिए मृतका की चिता से अस्थियों की राख जब्त की गई। उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (F.S.L.), सागर (म.प्र.) भेजा गया, लेकिन एफ.एस.एल. रिपोर्ट नकारात्मक रही, क्योंकि परीक्षण के लिए भेजी गई अस्थियों की राख में कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया। सामान्य अन्वेषण पूरा होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेंड्रा रोड के न्यायालय में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया गया, जिन्होंने मामला सत्र न्यायालय, बिलासपुर को सुपुर्द (Commit) कर दिया, जहाँ से यह अंतरण के माध्यम से सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण (Trial) संपन्न किया और अपीलार्थियों को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) स्वीकार्य रूप से, इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) पर आधारित था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मृतका के भाई दादूराम (अ.सा.-1), चम्पा बाई (अ.सा.-7) और मृतिका की माँ बुटू बाई (अ.सा.-9) के साक्ष्यों पर भरोसा किया और यह अभिनिर्धारित किया कि घटना से जुड़ी परिस्थितियाँ और अपीलार्थियों का आचरण उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे। दो डॉक्टर, डॉ. सीताराम गोयंका और डॉ. एल.एन. पटेल, जिन्होंने रात में मृतिका का उपचार किया था, उनका बचाव पक्ष के गवाह (ब सा-1 और ब सा-2) के रूप में परीक्षण किया गया। उन्होंने यह गवाही दी कि मृतिका की मृत्यु उल्टियाँ और दस्त (Loose Motions) के कारण हुई थी और यह मृतिका को जहर दिए जाने का मामला नहीं था, लेकिन सत्र न्यायाधीश द्वारा उनके बयानों पर विश्वास नहीं किया गया।

5) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच.एस. अहलूवालिया ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थियों के विरुद्ध ऐसी कोई भी अपराध-संकेतक परिस्थितियाँ (Incriminating Circumstances) मौजूद नहीं थीं, जिनसे यह माना जा सके कि उन्होंने मृतिका को जहर दिया था। उन्होंने एफ.एस.एल. (FSL) रिपोर्ट का संदर्भ दिया, जिसमें अस्थियों की राख में कोई जहर नहीं पाया गया था। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि

रात में मृतिका का उपचार करने वाले दो डॉक्टरों का साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि यह मामला 'फूड पॉइजनिंग' (खाद्य विषाक्तता) का था; और मृतिका की मृत्यु उल्टियाँ और दस्त होने के कारण हुई थी।

6) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता, श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

7) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों (Records) का भी अवलोकन किया है।

8) शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस.सी.सी. 116 में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी आरोपी के विरुद्ध मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह से स्थापित मानने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. वे परिस्थितियाँ जिनसे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए ('must' or 'should be') और मात्र 'हो सकती हैं' ('may be') के स्तर पर नहीं होनी चाहिए।

ii. स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त (आरोपी) की दोषसिद्धि की परिकल्पना (Hypothesis) के साथ सुसंगत होने चाहिए, अर्थात, उन तथ्यों की व्याख्या अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर नहीं की जा सकती हो।

iii. परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जो निश्चायक प्रकृति (Conclusive Nature) और निर्णायक प्रवृत्ति (Tendency) की हों।

iv. उन्हें (परिस्थितियों को) सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य सभी संभावित परिकल्पनाओं को अपवर्जित (Exclude) करना चाहिए, और

v. साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त (आरोपी) की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई भी उचित आधार शेष न रहे, और यह प्रदर्शित होना चाहिए कि समस्त मानवीय संभावनाओं के आधार पर वह कृत्य केवल और केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

9) यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि जहर (विषाक्तता) द्वारा मृत्यु के मामले में, न्यायालय को साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक सूक्ष्म परीक्षण (Scan) करना चाहिए और उन

चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए जो अकेले ही दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहरा सकती हैं:

(1) अभियुक्त (आरोपी) के पास मृतिका को जहर देने का एक स्पष्ट हेतुक (Motive) विद्यमान है,

(2) यह कि मृतिका की मृत्यु उसी जहर (विषाक्तता) से हुई है, जिसके दिए जाने का आरोप लगाया गया है,

(3) यह कि अभियुक्त (आरोपी) के पास वह जहर कब्जे (Possession) में था,

(4) यह कि उसके (अभियुक्त के) पास मृतिका को जहर देने का अवसर (Opportunity) विद्यमान था।

10) प्रस्तुत मामले में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दादूराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य पर भरोसा किया है। दादूराम ने गवाही दी कि घटना के दिन रात लगभग 9:00 बजे, रामेश्वर (अपीलार्थी क्रमांक-2) और उसका मित्र उनके गाँव आए और बताया कि मृतिका की स्थिति गंभीर है। इस सूचना पर, वह गाँव पतगंवा गया। उसकी माँ बुटू बाई (अ.सा.-9) भी उसके साथ गई थी। उन्होंने देखा कि गिरजा बाई खाट पर लेटी हुई थी; उसके मुँह से झाग निकल रहा था। उसे बार-बार दस्त हो रहे थे। उसने अपनी बहन से बात की, जिसने बताया कि दोपहर लगभग 2:00 बजे घर से खेत में कुछ भोजन भेजा गया था और भोजन करने के बाद उसे उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं। उसने यह भी गवाही दी कि डॉ. सीताराम गोयंका और एक कंपाउंडर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि यह जहर का मामला है; इसलिए, वह मृतिका का उपचार नहीं करेंगे। इस पर, राम जियावन ने उपचार के लिए लिखित में दिया और उसके बाद उसका उपचार किया गया।

जिरह (Cross-examination) में, उसने स्वीकार किया कि उसने अपने द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था। वह लिखित रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दे सका, क्योंकि घटना 26.05.90 को हुई थी और रिपोर्ट 29.05.90 को दर्ज की गई थी। उसके न्यायालयीन साक्ष्य और धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के तहत दर्ज उसके बयान में कई विसंगतियाँ (Discrepancies) थीं। उसने 161 के बयान में इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि उसकी बहन के मुँह से झाग निकल रहा था

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और उसका शरीर काला पड़ गया था। 161 के बयान में, जिसे 'ए से ए' के रूप में चिन्हित किया गया है, उसने कहा था कि उसकी बहन से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। हालाँकि, न्यायालयीन साक्ष्य में उसने गवाही दी कि उसकी उससे बात हुई थी। उसने न्यायालय में गवाही दी कि उसकी बहन की मृत्यु के बाद, राम जियावन की डॉक्टरों से बात हुई थी, जिस पर डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि उन्हें शव को तुरंत जला देना चाहिए, जबकि यह तथ्य भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1-A) और उसके केस डायरी कथन (प्रदर्श डी/1) में एक लोप (Omission) है।

11) चम्पा बाई (अ.सा.-7) अपीलार्थियों की पड़ोसन थी। उसने भी अपीलार्थियों के आचरण के बारे में गवाही दी है, लेकिन उसके न्यायालयीन साक्ष्य और पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में कई लोप (Omission) और विरोधाभास (Contradiction) पाए गए। उसने गवाही दी कि जब वह अपीलार्थियों के घर पहुँची, तो उसने देखा कि मृतिका की सास उसे घी दे रही थी। 'लीला बाई ने एक छोटा पात्र (कटोरी) पकड़ा हुआ था, लालजी राम ने मृतिका का सिर पकड़ा हुआ था और सुदामा वहाँ खड़ा था।' इन तथ्यों का उल्लेख उसके केस डायरी कथन (प्रदर्श डी/2) में नहीं था। जब उसे उसके पूर्व के बयान से अवगत कराया गया (Confronted), तो उसने गवाही दी कि उसने पुलिस को यह सब बताया था और वह केस डायरी कथन में इनका उल्लेख न होने का कारण नहीं बता सकती। उसने यह भी गवाही दी कि डॉक्टरों ने राम जियावन से लिखित में लिया था और उसके बाद ही मृतिका का उपचार किया था, लेकिन यह तथ्य भी उसके केस डायरी कथन में मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त अन्य विसंगतियाँ (Discrepancies) भी मौजूद हैं।

12) बुटू बाई (अ.सा.-9) ने भी इसी प्रकार से गवाही दी। यद्यपि उसने कहा कि उसकी अपनी बेटी से बात हुई थी, किंतु ये सभी तथ्य उसके केस डायरी कथन (प्रदर्श पी/3) में मौजूद नहीं थे।

13) इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि अपीलार्थियों का आचरण अपराध-संकेतक (Incriminating) था और इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, सिवाय इसके कि वे मृतिका को जहर देने के दोषी थे। रात में मृतिका का उपचार करने वाले डॉक्टर, सीताराम गोयंका (ब.सा.-1) और डॉ. एल.एन. पटेल (ब.सा.-2) हैं। इन डॉक्टरों के अनुसार, यह 'फूड पॉइजनिंग' (खाद्य विषाक्तता) का मामला था। उन्होंने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बहुत स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि मृतिका का परीक्षण करते समय उन्हें जहर का कोई लक्षण नहीं मिला; यह उल्टियाँ और दस्त का मामला था।

डॉ. सीताराम गोयंका (ब.सा.-1) एक निजी चिकित्सक थे। उनके अनुसार, उन्होंने जबलपुर से MBBS किया था और 1969 से पेंड्रा रोड में डिस्पेंसरी चला रहे थे। डॉ. एल.एन. पटेल (ब.सा.-2) एक सहायक शल्य चिकित्सक (Assistant Surgeon) थे और 1988 से सेनेटोरियम पेंड्रा में तैनात थे। इन दो गवाहों के साक्ष्य 19.10.92 और 16.12.92 को दर्ज किए गए थे। उन्होंने उस भयावह रात की घटना और अपने उपचार के तरीके के बारे में गवाही दी। सत्र न्यायाधीश ने इन दो गवाहों की गवाही पर इस आधार पर अविश्वास किया कि वे घटना की तारीख (जो लगभग 2 वर्ष पहले हुई थी) पर दिए गए उपचार के विवरण के बारे में गवाही देने में कैसे सक्षम होंगे। हमें नहीं लगता कि इन दोनों डॉक्टरों की गवाही को खारिज करने का यह कोई ठोस आधार था। छोटे गाँवों में, डॉक्टर इतने व्यस्त नहीं होते कि उनके लिए वर्तमान जैसे मामले में किसी मरीज के उपचार का विवरण देना असंभव माना जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अत: विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उन दो डॉक्टरों के साक्ष्य को खारिज करने में कानूनी भूल (Erred in law) की है, जिन्होंने 26.05.90 की रात को मृतका का उपचार किया था, और उनके विरुद्ध अभिलेख पर कुछ भी प्रतिकूल नहीं लाया जा सका। रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों के मूल्यांकन में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर पाया कि मृतिका की मृत्यु उस जहर से हुई थी जिसे अपीलार्थियों द्वारा दिया गया बताया गया था, और यह भी स्थापित नहीं किया जा सका कि अपीलार्थियों के कब्जे में जहर था।

14) अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य, AIR 1960 S.C. 500 (जिस पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी भरोसा किया था) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक दाण्डिक विचारण (Trial), आरोपी के आचरण की किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जाँच नहीं है, जो आरोपित अपराध के लिए उसके दोषी होने के निर्धारण के अलावा हो। इस संबंध में, आचरण के उस हिस्से को ही अपराध-संकेतक (Incriminating) माना जा सकता है जिसका अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना (Hypothesis) के अलावा कोई अन्य उचित स्पष्टीकरण न हो। केवल वही आचरण महत्वपूर्ण माना जा सकता है जो 'निर्दोषता की उपधारणा' (Presumption of Innocence) को खंडित करता हो।

उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी निर्धारित किया कि विषाक्तता (Poisoning) के मामले में अभियोजन को निम्नलिखित स्थापित करना चाहिए: (क) कि मृत्यु जहर से हुई थी; (ख) कि जहर अभियुक्त के कब्जे में था; और (ग) कि अभियुक्त के पास मृतिका को जहर देने का अवसर था। यद्यपि इन तीन प्रस्तावों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, फिर भी जहर द्वारा हत्या को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पर्याप्तता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

यदि किसी विशेष मामले में साक्ष्य इस निष्कर्ष को न्यायोचित नहीं ठहराते कि मृत्यु जहर का परिणाम है, क्योंकि अभियोजन प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा इस तथ्य को संतोषजनक ढंग से साबित करने में विफल रहा है, तो अभियुक्त को 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) देना होगा। लेकिन यदि तीन तत्वों के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने निर्णायक हैं कि न्यायालय बिना किसी संकोच के यह मान सकता है कि मृत्यु जहर देने के कारण हुई थी (भले ही जहर का पता न चला हो) और वह जहर अभियुक्त द्वारा ही दिया गया होगा, तो दोषसिद्धि उस पर आधारित की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) प्रस्तुत मामले में, वास्तव में उपर्युक्त 3 परिस्थितियों में से एक भी सिद्ध नहीं हुई। हम यह भी पाते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, अपीलार्थियों के आचरण का साक्ष्य इतना निर्णायक (Decisive) नहीं था कि विद्वान सत्र न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकाल पाते कि निश्चित रूप से मृत्यु जहर देने का परिणाम थी और वह जहर अपीलार्थियों द्वारा ही दिया गया होगा। अतः, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी 'संदेह के लाभ' (Benefit of Doubt) के हकदार थे और उनके कथित आचरण की एकमात्र परिस्थिति पर आधारित दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

16) पूर्वोक्त कारणों (Foregoing reasons) के आधार पर, यह अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थियों को प्रदान की गई दोषसिद्धि और सजा को निरस्त (Set aside) किया जाता है। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत-बंधपत्र (Bail bonds) रद्द किए जाते हैं और प्रतिभुओं (Sureties) को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिंह

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Spriya Chandravanshi

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur